मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

प्रकीर्ण वाद संख्या-९१४/२०१९ (एम.ए.सी.पी. सं. ३९९/२०१५)
संजीव पाण्डेय बनाम पन्ना लाल आदि
०५.०१.२०२१

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थी/याची संजीव पाण्डेय द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका दिनॉक १४.०९.२०१९ को लोक अदालत में निर्णीत की जा चुकी है तथा न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में प्रतिकर की धनराशि ₹ ५०,००० विपक्षी बीमा कम्पनी ने न्यायालय में जमा कर दिया है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उक्त जमाशुदा धनराशि प्रार्थी के पक्ष में रिलीज करने की कृपा की जाय। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र ४सी२ व अपने बैंक खाते, आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ व न्यायाधिकरण के आदेश मय सुलहनामा की छाया प्रति दाखिल की गईं हैं।

प्रार्थी न्यायाधिकरण के समक्ष मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वर्चुअल न्यायालय में सुना गया तथा एम.ए.सी.पी. सं. ३९९/२०१५ संजीव पाण्डेय बनाम पन्ना लाल आदि की पत्रावली, प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावली व कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने शपथपत्र ४सी२ में अपने प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि उक्त एवार्ड के विरूद्ध विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा कोई अपील नहीं की गयी है न ही किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश है। एम.ए.सी.पी. सं. ३९९/२०१५ में पारित निर्णय दिनाँकित १४.०९.२०१९ के अवलोकन से विदित होता है, कि प्रस्तुत याचिका सुलहनामा २५बी के अनुसार निर्णीत की गई है। मूल याचिका में उपलब्ध सुलहनामा २५बी में प्रतिकर की धनराशि ₹ ५०,००० पर सुलह होना दर्शित है। प्रकीर्ण वाद में केनरा बैंक द्वारा दी गयी ८बी सूचना के अनुसार प्रस्तुत याचिका में ₹ ५०,००० उनकी शाखा में दिनाँक १४.११.२०१९ को जमा किया जा चुका है। कार्यालय आख्या के अनुसार भी उक्त बैंक की आख्या के अनुसार उक्त प्रतिकर धनराशि केनरा बैंक में जमा होने का उल्लेख है। अतः प्रकरण में न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार प्रार्थी विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा जमाशुदा क्षतिपूर्ति धनराशि ₹ ५०,००० मय अब तक अर्जित ब्याज को प्रार्थी जरिये आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

केनरा बैंक शाखा गोबिन्द चौराहा, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. ३९९/२०१५ (प्रकीर्ण वाद सं. ९१४/२०१९ संजीव पाण्डेय बनाम पन्ना लाल आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि प्रार्थी को निम्न सारिणी के अनुसार को भुगतान कर दें:-

Applicat/ petitioner	Amount in Rs.	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
Sanjeev Pandey	50000	100	Elect. Mode RTGS/NEFT	11470001 10146798	PNB Bijuli Jhansi	PUNB0114 700
Total	50000	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.05 12:58:45 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi